12.10.2020	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में निर्णय प्रथम से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा पत्रावली में शामिल रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 12:05:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीनः– अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

आर.सी.एम.एस

2012 / 00082

तारीख रजू

16.4.2012

मु0नं0
35/12

1. अंगूरीदेवी वेवा लक्ष्मीचन्द आयु 82 साल
2. विष्णुचन्द आयु 53 साल
3. प्रेमचन्द आयु 48 साल
4. महेशचन्द आयु 45 साल
5. श्याम लाल आयु 40 साल
6. रमेशचन्द पुत्र फकीरा आयु 70 साल
7. सुरेशचन्द पुत्र फकीरा उम्र 65 साल

सभी जाति महाजन नि0 भूडारा बाजार करौली तह0 व जिला करौली

–सायलान

बनाम

1. द्वारिका प्रसाद पुत्र चैनसुख आयु 48 साल जाति महाजन नि0 गायत्री न गर करौली तह0 व जिला करौली राज0
2. आशीष पुत्र प्रवीण कुमार आयु 28 साल जाति महाजन नि0 गौमती कॉलोनी करौली तह0 व जिला करौली राज0
3. मायादेवी गुप्ता पत्नी राधेश्याम पुत्री हाबूलाल जाति महाजन नि0 शिवचरणसिंह के पैट्रोल पुम्प के सामने करौली तह0 व जिला करौली

–गैरसायलान

दरख्वास्त 212 आर0टी0एक्ट

:निर्णयः

दिनांकः–12.10.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि ख0नं0 6917 कस्बा करौली रकवा 9 विस्वा जिसका **साविक** ख0नं0 5291 है से यह खसरा नम्बर बना है। जो सायलान के पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे की है जिस पर सायलान संयुक्त रूप से काबिज है। जिसमें सायलान का 1/4 हिस्सा है एवं ख0नं0 6943 रकवा 2 बीघा8 विस्वा कस्बा करौली जिसका **साविक** ख0नं0 5307 है यह भूमि भी सायलान के पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे की संयुक्त है। ख0नं0 6917 व 6943 नगरपालिका करौली के क्षेत्र में पडते है ख0नं0 6943 करौली से गंगापुर जाने वाली सडक के सहारे लगा हुआ है। गैरसायलान नं0 1ता3 के दिल में बदनीयती आयी हुयी है ख0नं0 6943 जो सायलान का है उसके दक्षिण में लगा हुआ ख0नं0 6923 गैरसायल नं0 1ता4 ने खरीद कर लिया है और वह ख0नं0 6943 के **वरंगलाल** हिस्से से दिखाये गये है को चाहते है और सायलान नं0 1 को बेदखला करने पर उतारू हो रहे है दि0 13.4.12 को गैरसायल नं0 1 ता 3 जबरन ख0नं0 6943 में **अनामीकार** प्रवेश कर दाखिल हो गये और ख0नं0 6923 व 6943 के बीच मेड पर पुरानी हदबन्दी के गढे पत्थरों को उखाड कर पटक दिय गया मना करने पर झगडे को उतारू हो गये और ऐलानिया धमकी दी कि वह ख0नं0 6943 के **वरंगलाल** हिस्से से से सायलान नं0 1 को जबरन वेदखल करेंगे और सायला नं0 1 को काश्त नही करने देगे और ख0नं0 6917 पर भी अनाधिकार कब्जा करेंगे इस प्रकार गै0 नं0 1ता3 का इरादा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 12:05:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दुर्भावना पूर्ण है सायलान को अपनी उक्त भूमियों के कब्जे काश्त में रूकावट डालने का बना हुआ है यदि दौराने दावा गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो गये तो सायल का दावा करने का मकसद समाप्ति हो जावेगा व सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए सायलान गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है अन्त में प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि ख0नं0 6923 के गैरसायलान खातेदार है काबिज काश्त है इससे सटी आराजी ख0नं0 6923/9804 है ख0नं0 6923 व 6943 के मध्य पुरानी मेंड पर पुराने हदबन्दी के गढे पत्थरों का निकाल कर फेकने का तथ्य गलत अंकित किया है ख0नं0 6917 पर गैरसायलान द्वारा अनधिकार कब्जा करने की दुर्भावना गलत दर्ज की हैं सही बात यह है कि गैरसायलान की आराजी पर सायलान कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नही है गैरसायलान के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा व घोषण का दावा चलने योग्य नही है सायलान ख0नं0 6917 की आड में गैरसायलान की जमीन को हडपना चाहते है जिसका उनको कोई भी कानूनी अधिकार नही है ख0नं0 6923/9804 व 6923 गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी दावा उनवनी अंगूरीदेवी बनाम देवीलाल दावा नम्बरी 11/12 न्यायालय ए0डी0जे0 करौली में स्वीकृत तथ्य है और गैरसायलान की जमीन को हडपने की नीयत से इस न्यायलय में गलत दावा पेश किया है ख0नं0 6923/9804 व 6923 की गैरसायलान की जमीन का भाग का दिशा उत्तर व दक्षिण सायलान ने दबा रखा है जिसको गैरसायलान सायलान से बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है अन्त में प्रार्थनापत्र सायलान खारिज किये जाने एवं काउण्टर प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। सायलान ने जबाब काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायलान का बहस में कथन है कि ख0नं0 6917 व 6943 सायलान के खातेदारी व कब्जे काश्त की है गैरसायल ने दि0 13.4.12 को ख0नं0 6943 में अनाधिकार प्रवेश कर ख0नं06923 व 6943 के बीच पुरानी मेड के पत्थरों को उखाड कर फेक दिया है और गैरसायलान सायलान की भूमि को दबाना चाहते है गैरसायलान ने सायलान को भूमि से जबरन बेदखल करने एवं सायलान को भूमि को काश्त नही करने देने की धमकी दी है। गैरसायलान की यह कार्यवाही अनाधिकार है हक हकूक सायलान पर आघात है गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो गये तो सायलान का दावा पेश करने का मकसद समाप्त हो जावेगा जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा हो गयी सायलान गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील गैरसायलान का कथन है कि ख0नं0 6923/9804, 6923 गैरसायलान के खातेदारी व कब्जे की है जिन्हे सायलान दावा की आड में हडपना चाहते है। गैरसायलान का भूमि पर कब्जा है। ख0नं0 6943 व 6923 के बीच पत्थरो की मेडो को गैर सायलान द्वारा नही तोडा है सायलान ख0नं0 6923 व 6943 के उत्तरी व दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करना चाहते है और भूमि को दबा रखा है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे। काउण्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 12:05:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 67 में वादग्रस्त आराजी ख0नं0 6917 व 6943 सायलान के खातेदारी की होना एवं ख0नं0 6923, 6923/9804 कस्बा करौली गैर सायलान के खातेदारी में दर्ज हैं। उभयपक्ष में मध्य सीमाबन्दी का सदभावी विवाद है जिसका निर्णय दावा में साक्ष्य के वाद अंतिम निर्णय पर होना है तब तक वादग्रस्त आराजीयात की मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने में एवं एक दूसरे की आराजी मे दखल न दे इस वावत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने में प्राइमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति उभयपक्ष के पक्ष में प्रतीत होती है।

अतः प्रार्थनापत्र सायलान काउण्टर प्रार्थनापत्र गैरसायलान स्वीकार किये जाते है। उभयपक्ष को ताफैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जात है कि वह वादग्रस्त आराजी ख0नं0 6917 रकवा 9 विस्वा ख0नं0 6943 रकवा 2 बीघा 8 विस्वा एवं ख0नं0 6923 रकवा 3 बीघा 5 विस्वा ख0नं0 6923/9804 रकवा 5 विस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं0 10 तह0 करौली की मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे एक दूसरी की खातेदारी में उभय पक्ष दखल न दे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.11.09 12:05:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner